41–(08)–29–2018

पटना में दिनांक–13 फरवरी, 2018 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत वर्ष 2015–16 तक नामांकित एवं अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को नामांकन वर्ष में स्वीकृत शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्कों की राशि एवं भुगतान की गई राशि की अन्तर राशि की शेष पाठ्यक्रम अवधि के लिए स्वीकृति तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत स्वीकृत राशि का भुगतान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

1. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–नेकपुर, थाना नं०–486, खाता सं०–166, खेसरा नं०–916, 921, 1561, 1631, 1634, 1706, 1862, 1865, 1870 एवं 1864 का रकबा क्रमशः–0.07, 0.12, 0.02, 0.03, 0.21, 0.28, 0. 02, 0.08, 0.15 एवं 0.13 एकड़ कुल रकबा–1.11 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि 7,000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 7,77,000/– रू० सलामी एवं सलामी का पांच प्रतिशत व्यावसायिक लगान अर्थात 38,850/–रू० का 25 गुणा अर्थात 9,71,250/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–17,48,250/–(सतरह लाख अड़तालीस हजार दो सौ पचास) रू० के भुगतान पर भूमि बैंक परियोजना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक अंचल के मौजा–पांचगाछी, थाना नं०–311, खाता नं०–195, खेसरा सं०–01 एवं 04, रकबा क्रमशः–0.74 एकड एवं 2.26 एकड़, कुल रकबा–3.00 एकड़, अनावाद सर्वसाधारण आम भूमि 6,000/– (छः हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 18,00,000/– (अठारह लाख) रू० सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य अर्थात 9,00,000/– (नौ लाख) रू० सहित कुल– 27,00,000/– (सताईस लाख) रू० के भुगतान पर एस०एस०बी० कैम्प 12वीं बटालियन कजला बी०ओ०पी० निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–02 (औरंगाबाद–बरबड्डा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–मदनपुर के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–0.5317 हेक्टेयर (अर्थात 1.3137 एकड़) (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I.) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 4. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–पिलखी, थाना नं०–484, के खाता नं०–214, खेसरा नं०–1792 एवं 2050, रकबा क्रमशः 0.05 एकड़ एवं 1.55 एकड़ कुल रकबा–1.60 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि 60,000/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 96,00,000/–रू० सलामी एवं सलामी का पाँच प्रतिशत लगान अर्थात 4,80,000/–रू० का पच्चीस गुणा अर्थात 1,20,00,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–2,16,00,000/–(दो करोड़ सोलह लाख) रू० एवं मौजा–ठेरा, थाना नं०–489, खाता सं०–102 एवं 152 के विभिन्न खेसरा का कुल रकबा–0.76 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि रू० 5000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 3,80,000/–रू० सलामी एवं सलामी का पांच प्रतिशत लगान अर्थात 19,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात रू० 4,75,000/–पूँजीकृत मूल्य सहित 8,55,000/–अर्थात 2,16,00,000 + 8,55,000 = 2,24,55,000/– रू० (दो करोड़ चौबीस लाख पचपन हजार) रू० के भुगतान पर भूमि बैंक परियोजना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। 5. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

8. विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व से नियोजित कुल 52 (बावन) सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति होने अथवा संविदा समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

10. श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, संविदा पर नियोजित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में नियोजन अवधि का एक वर्ष के लिये 28.02.2019 तक अवधि विस्तार के संबंध में। 10. स्वीकृत।